अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लक्ष्मणसिंह बनाम रूपसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/264 (अजमेर)

रिमांड 4/11/2024

	श्री मौहम्मद इकबाल	
30.10.2024	लक्ष्मणसिंह बनाम रूपसिंह वगैरह (2024/264) यह अपील श्री मौहम्मद इकबाल एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 04.11.2024 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
04.11.2024	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से श्री मदनपुरी गोस्वामी एडवोकेट ने मिमो ऑफ अपीयरेन्स प्रस्तुत किया। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं स्थगन प्रार्थना पत्र, अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया बाद अवलोकन अपीलांट/ प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष एक वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसे दिनांक 30.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान कर आगामी पेशी दिनांक 14.08.2024 नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 14.08.2024 से 09.10.2024 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी वास्ते जारी किये जाने स्थगन आदेश भी पेश किया जिस पर अप्रार्थीगण ने जवाब हेतु समय चाहा तथा आगामी पेशी दिनांक 26.11.2024 नियत की गई है। अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है तथा निरन्तर वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया जा रहा है। अतः स्थगन आदेश जारी किया जावें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। दिनांक 09.10.2024 को अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित करना उचित समझते है। **अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष**	

लगातार.....

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लक्ष्मणसिंह बनाम रूपसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/264 (अजमेर)

आगे.....

लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner